न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –132/2017

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
पताराम पुत्र लालुराम जाति विश्नोई निवासी चावण्डिया तहसील खींवसर जिला नागौर		तहसीलदार खींवसर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री कन्हैयालाल सुथार।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 19-07-2018

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 75 के तहत तहसीलदार, खींवसर द्वारा मुकदमा नम्बर 158/2017 सरकार बनाम पताराम अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 में पारित निर्णय दिनांक 13.10.2017 से असंतुष्ट होकर दिनांक 13.11.2017 को प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी। वकील अपीलाण्ट ने अपील में किये गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का चावण्डिया ने दिनांक 04.10.2017 को एक आवेदन इस आशय का पेश किया कि अपीलार्थी पताराम निवासी चावण्डिया ने संवत 2074 में बाडा के जरिये खसरा नम्बर 251 रकबा 0.01 (बीघा या बिस्वा कोई उल्लेख नहीं) किस्म जमीन गैर मुमकिन औरण पर नाजायज कब्जा कर लिया। उक्त प्रकरण दर्ज कर तहसील खींवसर ने नोटिस जारी कर आईन्दा पेशी दिनांक 13.10.2017 को तय की उक्त पेशी पर अपीलांट (अप्रार्थी) ने अपना जवाब पेश किया तथा दिनांक 13.10.2017 को ही तहसीलदार ने फैसला कर दिया। उक्त फैसला की नाराजगी में यह अपील पेश की है।

आदेश जैर अपील तथ्यों व कानून के विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। प्रकरण हाजा में दिनांक 13.10.2017 को अप्रार्थी अपीलार्थी ने जवाब पेश किया उक्त जवाब का अदालत मातहत ने हवाला ही नहीं दिया, न ही जवाब को अदालत मातहत ने देखा है, ऐसी दशा में अदालत मातहत का फैसला जैर अपील आर्बिट्रेरी ढंग से किया गया है, पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड को देखे बिना किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट पेश की है, उसमें कही पर नक्शा मौका का उल्लेख नहीं किया, खसरा नम्बर 251 के किस स्थान पर अपीलार्थी का नाजायज कब्जा है कोई उल्लेख नहीं है, यह खसरा नम्बर 251 रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा का है तथा अतिक्रमण करने की रिपोर्ट में नाप का विवरण भी नहीं है, कितना चौडा, कितना लम्बा अतिक्रमण है, महज पटवारी ने 1 बिस्वा लिखा है, उसकी सच्चाई बाबत कोई जांच नहीं की गई, ऐसी दशा में आदेश जैर अपील पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

अपीलार्थी की ढाणी खसरा नम्बर 119 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा पर बनी हुई है, जो पूर्वजों के वक्त से बनी हुई है। इस खसरा नम्बर के सीमा जोड खसरा नम्बर 251 आया हुआ है, परन्तु खसरा नम्बर 251 की कोई भूमि पर अपीलांट का कब्जा नहीं है, अपीलार्थी ने यह कथन अपने बयानों में लिखा था कि उसने मकान बनाने के दौरान खुली जमीन पर पत्थर डाले थे जो उसके उठा लिये है तथा खसरा नम्बर 251 पर उसका कोई कब्जा नहीं है। परन्तु पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी के जवाब पर पटवारी से जवाब पर बाद में

रिपोर्ट करवा ली, जबकि फैसला पहले से ही कर दिया गया था। दिनांक 13.10.2017 को जवाब पेश हुआ, दिनांक 13.10.2017 को ही फैसला कर दिया गया, तो फिर पटवारी की रिपोर्ट कैसे करवा ली गई। कब पटवारी को सूचित किया, कब वह मौके पर गया, कब उसने रिपोर्ट का इन्द्राज दर्ज किया। यह पूर्ण रूप से फर्जी इन्द्राज किया गया है व बिना मौका देखे झुठा दर्ज किया है। ऐसी दशा में आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं है। पटवारी के बयान भी कलमबद्ध नहीं किये, महज रिपोर्ट को बिना साक्ष्य कैसे सही माना, कोई उल्लेख नहीं है, ऐसी दशा में आदेश जेर अपील विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

अदालत मातहत ने न तो अपीलार्थी का जवाब रिकॉर्ड पर लिया, न ही अपीलार्थी को अपना साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया। अपनी मर्जी से कानूनी प्रक्रिया को ताक में रखकर आदेश जेर अपील पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। प्रकरण हाजा का फैसला पक्षपातपूर्ण है, अपीलार्थी को गलत ढंग से तंग व परेशान करने की नियत से की हुई कार्यवाही है। अपीलार्थी की ढाणी का खसरा नम्बर 119 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा का नाप चौप नहीं किया, अपीलार्थी का कोई कब्जा खसरा नम्बर 119 के बाहर नहीं है, बिना नाप चौप किये पटवारी हल्का को कैसे ज्ञान हो गया 1 बिस्वा भूमि पर नाजायज कब्जा अपीलार्थी का है।

इसके अलावा खसरा नम्बर 251 का भी नाप चौप नहीं किया गया, तो फिर पटवारी हल्का ने अपनी मर्जी से रिपोर्ट बनाकर पेश कर दी व उक्त रिपोर्ट की ताईद करने वाला कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, फिर भी रिपोर्ट पटवारी को सही मानने का जो फैसला अदालत मातहत ने किया है, विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य होने का कथन करते हुऐ वकील अपीलान्ट ने आदेश जेर अपील अपास्त किया जाकर तहसीलदार खींवसर को रिमाण्ड किया जावे तथा पूर्ण नाप चौप खसरा नम्बर 251 का किया जाकर पुनः बाद कानूनी प्रक्रिया अपनाकर फैसला करने का आदेश दिये जाने का निवेदन किया।

राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा ने वकील प्रार्थी की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया की प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा ग्राम चावण्डिया के खसरा नम्बर 251 की 0.01बीघा गै.मु. ओरण भूमि पर बाड़ा बनाकर नाजायज कब्जा किया गया है, जो की भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी चावण्डिया की रिपोर्ट से साबित है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया गया उक्त जवाब की पुस्त पर पटवारी हल्का द्वारा पुनः रिपोर्ट में अपीलान्ट का अतिकमण माना है एवं पूर्व में की कार्यवाही को सही होना बताया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही होने का कथन करते हुऐ अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया गया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा मौजा चावण्डिया के खसरा नम्बर 251 गैर मु0 औरण की 0.01 बीघा भूमि पर बाड़ा बनाकर नाजायज कब्जा किया गया है, जो भू.अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी चावण्डिया की रिपोर्ट दिनांक 4.10.2017 से साबित है। इसके पश्चात अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जबाब प्रस्तुत किया गया उक्त जवाब की पुस्त पर पटवारी हल्का द्वारा पुनः रिपोर्ट में अपीलान्ट का अतिकमण माना है एवं पूर्व में की कार्यवाही को सही होना बताया है। तत्पश्चात तहसीलदार खींवसर के आदेश दिनांक 07.11.2017 की पालना में अपीलान्ट को वादग्रस्त भूमि पर से अपीलान्ट को भौतिक रूप से बेदखल किया गया जिसके संबंध में भौतिक बेदखली रिपोर्ट दिनांक 13.11.2017 तैयार की गई, जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक भूण्डेल, पटवारी, अपीलान्ट तथा अन्य मौतबिरान के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका रेकर्ड लौटाते हुवे निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर